संख्या:31/2021/I/117590/46-1002(002)/1/2021

प्रेषक,

डॉ. रूपेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 29 नवम्बर, 2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-23 (गन्ना) के अन्तर्गत विभिन्न मदों में कम पड़ रही धनराशियों हेतु पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 804/लेखा-बजट(पुनर्विनियोग)/2021-22, दिनांक 20.10.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-23 (गन्ना) लेखाशीर्ष- "2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण की योजना-01-वेतन" में उपलब्ध धनराशि रू.17000.00 लाख में घटित होने वाली बचतों में से रू.58.56 लाख (रूपये अठ्ठावन लाख छप्पन हजार मात्र) को **लेखाशीर्ष-"2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान के अन्तर्गत मानक मदों यथा-**42-अन्य व्यय में रू.2.06 लाख, 49-चिकित्सा व्यय में रू.3.00 लाख, **लेखाशीर्ष-"2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत मानक मदों यथा-**17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व मद में रू.3.50 लाख, 49-चिकित्सा व्यय में रू.2.00 लाख, 55-मकान किराया भत्ता मद में रू.8.00 लाख, तथा **लेखाशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण की योजना** के अन्तर्गत 49-चिकित्सा व्यय में रू.40.00 लाख संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग की अनुमति सहित व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय केवल उक्त स्वीकृत मदों पर ही किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

3. उक्त बचत की धनराशि गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित कीजायेगी। जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा उसका सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

4. बजट मैनुअल तथा शासन के अस्थायी निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित प्रारूपों में (बी.एम.-13) व्यय की सूचना शासन के वित्त विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-23(गन्ना) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-108 वाणिज्यिक फसलें-04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण की योजना-01 वेतन मद में घटित बचतों को पुर्नविनियोजित करते हुये उसी अनुदान संख्या के **लेखाशीर्ष-"2401-**फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान, **लेखाशीर्षक-"2401-**फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-क्षेत्रीय कार्यालय तथा **लेखाशीर्षक "2401-**फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण की योजना के अन्तर्गत संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 (भाग-1) में उल्लिखित मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:3/2021 /बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

डॉ. रूपेश कुमार

विशेष सचिव।

संख्या: 31/2021/I/117590 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., लखनऊ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डॉ. रूपेश कुमार

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नामः- 23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)
वित्तीय वर्षः 2021-22
प्रपत्र-बी.एम.9 (भाग-1)
(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष(15 डिजिट कोड में आयोजनागत)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-23 (गन्ना) लेखाशीर्षः- 2401-फसल कृषि कर्म 108-वाणिज्यिक फसलें 04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण की योजना 01-वेतन	17000.00	58.56	**58.56**	**58.56**	**16941.44**
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष(15 डिजिट कोड में आयोजनेतर)	वितीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वितीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2401-फसल कृषि कर्म **001-निदेशन तथा प्रशासन** **03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान**					
42-(अन्य व्यय)	2.50	4.56	**2.06**	2.06	**4.56**
49-(चिकित्सा व्यय)	16.00	19.00	**3.00**	3.00	**19.00**
2401-फसल कृषि कर्म **001-निदेशन तथा प्रशासन** **04-क्षेत्रीय कार्यालय**					
17-(किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व)	10.00	13.50	**3.50**	3.50	**13.50**
49-(चिकित्सा व्यय)	3.00	5.00	**2.00**	2.00	**5.00**
55-(मकान किराया भत्ता)	35.00	43.00	**8.00**	8.00	**43.00**
2401-फसल कृषि कर्म **108-वाणिज्यिक फसलें** **04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण की योजना**					
49-(चिकित्सा व्यय)	46.00	86.00	**40.00**	40.00	**86.00**
योगः-	**112.50**	**171.06**	**58.56**	**58.56**	**171.06**

नोटः- वितीय वर्ष में कर्मचारियों/अधिकारियों के निरन्तर सेवानिवृत्ति होने एवं कोई नयी नियुक्ति न होने के कारण वेतन मदों में बचत होना सम्भावित है।
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

आर.ई. संख्याः135, दिनांक 18-11-2021
सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव,
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग।

(पूर्णिमा बेदार श्रीवास्तव)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **चीनी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।**
2. **मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।**
3. **निदेशक,वितीय सॉख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ**
4. **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6**
5. **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)**
6. **गार्ड-फाईल।**

(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव,
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है